

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 588]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2018—कार्तिक 5, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 21-वि.निर्वा.-चार-2018-215.—भारत निर्वाचन आयोग का शुद्धि पत्र क्रमांक 434-म.प्र.-वि.स.-2018, दिनांक 27 अक्टूबर 2018 तथा उसकी अंग्रेजी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है:—

संदीप यादव, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

मि. सं. 434-म.प्र.-वि.स.-2018

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2018—05 कार्तिक, 1940 (शक)

शुद्धि-पत्र

सहायक रिटार्निंग ऑफिसरों की पदनामित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 434-म.प्र.-वि.स.-2018 (1), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 पढ़ा जाएगा।

आदेश से,
हस्ता./—
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

No. 434-MP-LA-2018 (1)/

New Delhi, Dated 27th October, 2018—05 Kartika, 1940 (Saka)

CORRIGENDUM

In notification No. 434-MP-LA-2018 (1), dated 09th October, 2018 of Election Commission of India with respect to designation of Assistant Returning Officers, Section 21 of Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) shall be read as Section 22 of Representation of People Act, 1951 (43 of 1951)

By order,

Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)

Principal Secretary,

Election Commission of India.